


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर  
क्रमांक - ई-18/एम/(स्वे से.नि.)/2019/  
दिनांक .

आदेश

श्री भोपाल राम, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामनसिटी, नागौर जिनकी जन्म तिथि 01.05.1963 एव राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि 23.04.1984 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.10.2019 से स्वेच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.10.2019 को अकार्य दिवस होगा।

कर्मचारी के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर


दिनांक 04/09/19

क्रमांक - ई-18/एम/(स्वे से नि)/2019/1897

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 निदेशक, पेशन एव पेशनर्य वेल्फेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
- 3 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामनसिटी, नागौर।
- 4 डीपीसी, अराजपात्रेत्त अनुभाग, मुख्यालय।
- 5 श्री भोपाल राम, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
- 6 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेश या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर